प्रेस नोट दिनांक 18.04.2026

थाना शीशगढ़ जनपद बरेली।

थाना शीशगढ़ #bareillypolice द्वारा गौकशी के 02 वाछिंत अभियुक्तों को दौराने पुलिस मुठभेड़ किया गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलाह व कारतूस, 2810/- रुपये नगद, गोकशी के उपकरण आदि अन्य समान बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण/परिचयः-

दि0 03.04.2026 को वादी श्री ओमकार पुत्र श्री मोतीराम निवासी ग्राम बरगवा, थाना शीशगढ़, जनपद बरेली द्वारा कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा 2-3 दिन पूर्व किच्छा नदी के पास ग्राम बरगवां में गौवंशीय पशु का वध कर उसके अवशेष (खाल व हड्डी) फेंक देने की सूचना पर मु0अ0सं0 84/2026 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। अभियोग के अनावरण हेतु थाना स्तर पर पुलिस टीमों का गठन कर प्रयास किए जा रहे थे। आज दिनांक 18.04.2026 को समय प्रातः करीब 05:00 बजे थाना प्रभारी शीशगढ़ मय पुलिस बल के गश्त पर पनवड़िया पुल के पास पहुंचे, तभी अचानक 03 व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में न्यूनतम आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त 1. अब्दुल रहमान पुत्र बाबू निवासी वार्ड नं0 11, धोराटांडा, थाना भोजीपुरा जनपद बरेली उम्र 35 वर्ष 2. दानिश कुरैशी पुत्र यासीन कुरैशी निवासी वार्ड नं0 09 कस्बा धोराटांडा थाना भोजीपुरा जनपद बरेली पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हो गए। घायल अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनकी जामा तलाशी ली गई, जिसमें अभियुक्त अब्दुल रहमान के कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर, 02 खोखा कारतूस .315 बोर, 01 जिंदा कारतूस .315 बोर एवं 1260/- रुपये नगद तथा अभियुक्त दानिश कुरैशी के कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर, 02 खोखा कारतूस .315 बोर, 02 जिंदा कारतूस .315 बोर, 1550/- रुपये नगद एवं गोकशी के उपकरण बरामद हुए। इनका एक अन्य साथी आरिफ घने जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। बरामदगी के आधार पर थाना शीशगढ़, बरेली पर मु०अ०सं० 103/2026 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट बनाम दानिश पुत्र यासीन (उम्र 30 वर्ष) नि0- ग्राम धौराटांडा वार्ड नं0 09 थाना भोजीपुरा, बरेली, अब्दुल रहमान पुत्र बाबू (उम्र 35 वर्ष) नि0- धौराटांडा वार्ड नं0 11 थाना भोजीपुरा, बरेली के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया।

सूचना पुलिस टीम एवं कार्यवाहीः-

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 18.04.2026 को प्र0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 श्री अमरजीत सिंह, उ0नि0 श्री राकेश कुमार, हे0का0 1028 रियाजुद्दीन, हे0कां0 136 प्रदीप कुमार व चालक कां0 3762 मोहित कुमार देखरेख क्षेत्र शान्ति व्यवस्था, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वस्तु/वाहन, तलाश वांछित अभियुक्त ,चैकिंग बैंक/एटीएम, चैकिंग के दौरान ग्राम गुलडिया मानपुर, जामन्तरामपुर पहुंचे तो मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ दिन पहले हुई गौकशी की घटना कारित करने वाले तीन बदमाश जिनके पास नायाजय असलाह व कारतूस व तथा गौकशी के उपकरण सहित किच्छा नदी पुल के पास खण्डरनुमा कोठरी के पास बैठे है। मखबिर की सूचना पर विश्वास पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो बदमाशों द्वारा अपने आप को पुलिस से घिरता देखकर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करते हुए मौके से भागने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी फायरिंग में अभियुक्त अब्दुल रहमान पुत्र बाबू निवासी वार्ड नं0 11, धोराटांडा, थाना भोजीपुरा, जनपद बरेली, उम्र 35 वर्ष व दानिश कुरैशी पुत्र यासीन कुरैशी निवासी वार्ड नं0 09, कस्बा धोराटांडा, थाना भोजीपुरा, जनपद बरेली पैर में गोली लगने से घायल हो गए, जिनको घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से अभियुक्त अब्दुल रहमान से 01 तमंचा .315 बोर, 02 खोखा कारतूस .315 बोर, 01 जिंदा कारतूस .315 बोर एवं 1260/- रुपये नगद तथा अभियुक्त दानिश कुरैशी से 01 तमंचा .315 बोर, 02 खोखा कारतूस .315 बोर, 02 जिंदा कारतूस .315 बोर, 1550/- रुपये नगद एवं गोकशी के उपकरण बरामद हुए। इनका एक अन्य साथी आरिफ जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। घायल दोनो बदमाशों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। पुलिस मुठभेड़ के सम्बन्ध में मु०अ०सं० 103/2026 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कराया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

मु0अ0सं0 84/26 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना शीशगढ़, जनपद बरेली।

मु0अ0सं0 103/26 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना शीशगढ़ जनपद बरेली

आपराधिक इतिहासः-

- दानिश पुत्र यासीन उम्र करीब 30 वर्ष नि0 ग्राम धौराटांडा वार्ड नं0 09 थाना भोजीपुरा जिला बरेली

1. मु0अं0सं0 84/26 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना शीशगढ़, जनपद बरेली।

2. मु0अ0सं0 103/26 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना शीशगढ़ जनपद बरेली

- अब्दुल रहमान पुत्र बाबू उम्र करीब 35 वर्ष नि0 धौराटांडा वार्ड नं0 11 थाना भोजीपुरा जिला बरेली

1. मु0अं0सं0 84/26 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना शीशगढ़, जनपद बरेली।
2. मु0अ0सं0 103/26 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना शीशगढ़ जनपद बरेली
3. मु0अ0सं0 844/2011 थाना भोजीपुरा जनपद बरेली
4. मु0अ0सं0 859/11 थाना भोजीपुरा जनपद बरेली

बरामदगीः-

- दो तमन्चे नाजायज .315 बोर
- 04 खोखा कारतूस .315 बोर
- 03 जिन्दा कारतूस. 315 बोर
- 2810/- रुपये नगद
- गोकशी के उपकरण
- एक चापड लोहे
- दो छुरी

पूछताछः-

गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर बताया गया कि करीब 15-16 दिन पूर्व रात्रि में उन्होंने अपने साथी आरिफ के साथ मिलकर ग्राम बरगवां के सामने किच्छा नदी के किनारे गौवंशीय पशु का वध किया तथा उसके खाल व अवशेष को वहीं नदी में फेंक दिया था। हम तीनों पूर्व में भी विभिन्न थाना क्षेत्रों में नदी किनारे गौवध की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। घटना के बाद खाल व अन्य अवशेषों को नदी में बहा देते थे, जिससे वे सड़-गलकर नष्ट हो जाते थे और घटना की जानकारी लोगों को नहीं हो पाती थी, इसी कारण अब तक पकड़े नहीं गए।

पुलिस टीमः-

1. प्र0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार थाना शीशगढ़ जनपद बरेली
2. नि0अ0 श्री राजकुमार सिंह थाना शीशगढ़ जनपद बरेली
3. उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार राठी थाना शीशगढ़ जनपद बरेली
4. उ0नि0 श्री जितेन्द्र धामा थाना शीशगढ़ जनपद बरेली
5. उ0नि0 श्री अमरजीत सिंह थाना शीशगढ़ जनपद बरेली
6. उ0नि0 श्री राकेश सिंह थाना शीशगढ़ जनपद बरेली
7. उ0नि0 श्री रविराज पावडिया थाना शीशगढ़ जनपद बरेली
8. हे0कां0 1028 रियाजुद्दीन थाना शीशगढ़ जनपद बरेली
9. हे0कां0 136 प्रदीप कुमार थाना शीशगढ़ जनपद बरेली
10. कां02280 संदीप कुमार थाना शीशगढ जनपद बरेली
11. कां0 347 अखिलेश कुमार थाना शीशगढ़ जनपद बरेली